डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर–156/2019

1. बलोरसिह
2. जगतारसिह

} पि0 लीलासिह जाति जटसिख निवासी बहनीवाल तहसील व जिला बठिण्डा।

वादीगण

बनाम्

1. मलकीतकौर पत्नी स्व0 लीलासिह जाति जटसिख निवासी बहनीवाल तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
2. रणजीतकौर पुत्री स्व0 लीलासिह पत्नी हरबंशसिह जाति जटसिख निवासी देसू मलकाना तहसील कालांवाली जिला सिरसा।
3. बलविन्द्रकौर पुत्री स्व0 लीलासिह पत्नी नाहरसिह जाति जटसिख निवासी भुच्वों मंडी तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
4. मनप्रीतकौर पुत्री स्व0 लीलासिह पत्नी लक्ष्मणसिह जाति जटसिख निवासी बिशनपुरा तहसील व जिला मानसा पंजाब।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री संजय शर्मा वकील वादी मिन जानिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि कि चकनं0 2 ए बारानी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के संयुक्त खाता में खाता सं0 17/14 में कुल 12.397 है0 कृर्षि भूमि में लीलासिह पुत्र गुरदयालसिह के नाम दर्ज 4/49 हिस्सा आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चकनं0 2 ए बारानी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 17/14 में से लीलासिह पुत्र गुरदयालसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा. मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12-02-2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी—मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:—88 आरटीए
प्रकरण संख्या:—156/2019

1. बलोरसिह
2. जगतारसिह } पि0 लीलासिह जाति जटसिख निवासी बहनीवाल तहसील व जिला बठिण्डा। वादीगण

बनाम्

1. मलकीतकौर पत्नी स्व0 लीलासिह जाति जटसिख निवासी बहनीवाल तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
2. रणजीतकौर पुत्री स्व0 लीलासिह पत्नी हरबंशसिह जाति जटसिख निवासी देसू मलकाना तहसील कालांवाली जिला सिरसा।
3. बलविन्द्रकौर पुत्री स्व0 लीलासिह पत्नी नाहरसिह जाति जटसिख निवासी भुच्चों मंडी तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।
4. मनप्रीतकौर पुत्री स्व0 लीलासिह पत्नी लक्ष्मणसिह जाति जटसिख निवासी बिशनपुरा तहसील व जिला मानसा पंजाब। प्रतिवादीगण

उपस्थित—श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :— 12-07-2019

वादीगण बलोरसिह आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बावत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि चकनं0 2 ए बारानी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के संयुक्त खाता में खाता सं0 17/14 में कुल 12.397 है0 कृर्षि भूमि में वादीगण के पिता लीलासिह का 4/49 हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता लीलासिह के फौत होने से पूर्व ही पारिवार का भी विभाजन हो गया था व इस विभाजन के साथ समस्त चल व अचल सम्पति का भी विभाजन हुआ मुताबिक घरू व बाहमी विभाजन उपरोक्त आराजी वादीगण को प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण बतौर मालिक खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित आरजी में प्रतिवादीगण का कोई हक व हिस्सा मुताबिक विभाजन नही है।

वादीगण का पिता लीलासिह फ़ौत हो चुके है जिनके जायज व कानूनी वारीसान रिकार्ड है। स्व0 लीलासिह के हिस्सा की आराजी में प्रतिवादीगण का हिस्सा नही है। वादपत्र की दफा 3 में वर्णित वादग्रस्त आराजी काफी अर्सा पूर्व वादीगण को बाहमी विभाजन में प्राप्त हुई थी जिस पर वादीगण ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है तथा मौका पर भी वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 जो कि वादीगण की सगी बहिने है जिनकी शादी खूब दान दहेज देकर अच्छो घरो में की हुई है जिससे खुश होकर उन्होने अपने हक व हिस्सा को वादीगण के पक्ष में ब0हि0ब0 मौखिक रुप से त्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया सं0 1 जो कि वादीगण की माता है जिसकी सेवा चाकरी वादीगण ही करते है इसलिए वादीगण की माता ने भी उक्त आराजी में अपना हक वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है जिस कारण प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है।वादग्रस्त आराजी वादीगण के कब्जा काश्त में ब0हि0ब0 बाहमी विभाजन के समय से चली आ रही है जो कि वादीगण को उसके पिता द्वारा अपने जीवनकाल में बाहमी विभाजन में दी थी। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादी गण के नाम से दर्ज नही होने से वादी गण के खातेदारी

सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

अधिकारों का हनन होता है। इसलिए वादीगण वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी अपने नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर उपरोक्त चक के खाता में से लीलासिह का नाम कलमज़न करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज वादीगण के नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण ने अदालत में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में रक्त सम्बन्धी है। हम प्रतिवादीगण के पति व पिता लीलासिह फौत हो चुके है जिनके हम पक्षकारान वारीस है।वादपत्र की दफा 3 में वर्णित आराजी में हम प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का हक त्याग वादीगण के पक्ष में ब0हि0ब0 किया हुआ है व कोई हिस्सा नही लेना चाहती है। वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी विभाजन में वादीगण को ब0हि0ब0 प्राप्त हुई थी जिस पर वादीगण ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है। इसलिए वादपत्र की दफा 3 मे दर्ज आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में ब0हि0ब0 अंकन कर उपरोक्त चक के खाता में से लीलासिह का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई जो राजीनामा के साथ शामिल कर बाद तस्दीक राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा उपरोक्त आराजी का आपस में राजीनामा हो गया है। वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी पक्षकारान के पूर्वज लीलासिह के नाम से दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 2 ए बारानी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के संयुक्त खाता में खाता सं0 17/14 में कुल 12.397 है0 कृर्षि भूमि में लीलासिह पुत्र गुरदयालसिह के नाम दर्ज 4/49 हिस्सा आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चकनं0 2 ए बारानी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 17/14 में से लीलासिह पुत्र गुरदयालसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 12-07-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

Scanned by CamScanner